Indian J. Soc. & Pol. 05(I):2018:97-100 Special Issue **ISSN : 2348-0084(PRINT)**
UGC List No. 47956 **ISSN: 2455-2127(ONLINE)**

स्वच्छ भारत मिशन एवम् निर्मल गंगा अभियान

निशा जायसवाल[1a]
[a]असिस्टेण्ट प्रोफेसर, राजनीति शास्त्र, दीन दयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय,गोरखपुर

ABSTRACT

स्वच्छता उत्कृष्ट जीवन मूल्य है और हरेक व्यक्ति व सभ्य समाज की अभिलाषा। 'स्व' का अर्थ है स्वयं। 'स्व' का अच्छा होना स्वच्छ होना है। स्वच्छता का दायरा इतना विस्तृत है कि इसको अमल में लाने के लिए कई स्तरों पर विचार करने की आवश्यकता है। मन, वाणी, शरीर, ह्रदय, चित्त, समाज, परिवार, संस्कृति और व्यवहार से लेकर धर्म और विचार तक स्वच्छता का विशेष महत्व है या कहें जीवन, परिवार, समाज, संस्कृति, राष्ट्र और विश्व चेतना के उच्च आदर्शों को प्राप्त करने में स्वच्छता प्रथम सोपान है। केन्द्र सरकार के स्वच्छ भारत अभियान ने देश के प्रत्येक व्यक्ति को स्वच्छता की ओर उन्मुख किया है और स्वच्छता को जिन्दगी का हिस्सा बनाने के लिए प्रेरित किया है। केन्द्र सरकार के स्वच्छ भारत अभियान नें देश के प्रत्येक व्यक्ति को स्वच्छता की ओर उन्मुख किया है और स्वच्छता को जिंदगी का हिस्सा बनाने के लिए प्रेरित किया है। भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गाँधी ''स्वच्छता को देवत्व के निकट मानते थे।'' उन्होंने सदैव स्वच्छता को भक्ति के समतुल्य माना। बापू कहते थे कि स्वच्छता समग्र होनी चाहिए और इनमें सब शामिल हो। उनका विश्वास था कि स्वच्छ और निर्मल आत्मा अपवित्र शरीर में नहीं रह सकते। स्वच्छता का सबक सिखाते हुए बापू कहते हैं कि जिस तरह से हमें अपने व्यक्तिगत साफ–सफाई की चिन्ता होती है उसी प्रकार हमें अपने पास पड़ोस, बस्ती कस्बे शहर की साफ–सफाई के प्रति भी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। इस जिम्मेदारी को वह प्रमुख नागरिक कर्त्तव्य के रुप मे व्यवहार में सम्मिलित करने की सीख दिया करते थे।

KEYWORDS: *स्वच्छता, स्वच्छ भारत मिशन, गंगा, प्रदूषण,*

बापू के इन्हीं विचारों से प्रेरित होकर भारत में स्वच्छता के संदर्भ में नरेन्द्र मोदी कहा–'' मैं स्वच्छता के प्रति कटिबद्ध रहूँगा और इसके लिए समय दूँगा, मैं न तो गन्दगी फैलाऊँगा और न ही दूसरों को फैलाने दूँगा।'' भारत के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने गाँधी जयंती के अवसर पर 2 अक्टूबर 2014 को देशवासियों को स्वक्ष्छता अभियान की जो शपथ दिलाई ऊपर की पंक्तियों में उसका निहितार्थ है इसी के साथ स्वच्छ भारत अभियान का श्री गणेश हुआ। यह अभियान 2 अक्टूबर 2019 तक चलेगा। निःसंदेह इस अभियान ने देशवासियों को स्वच्छता का बोध कराया है। भारत को सम्पूर्ण रुप से स्वच्छ बनाना आसान नही है। आजादी के इतने वर्षों के उपरांत भी हम स्वच्छता के अनुकूल ढाँचा खड़े नही कर पाये हैं। वर्ष 2011 की जनगणना के अन्तिम आंकड़ो से पता चलता है कि गाँव प्रधान इस देश में 67.3 प्रतिशत घरों में शौचालय की सुविधा उपलब्ध नही है। देश में 626 मिलियन लोग खुले में शौच करते हैं। शहरों में कचरा निस्तारण और प्रबन्धन की समुचित व्यवस्था नही है। बढ़ती आबादी के साथ कचरे की मात्रा निरंतर बढ़ रही है। एक शहरी भारतीय एक साल में औसतन 165 किलो कचरा पैदा करता है। शहर में जगह–जगह अनियंत्रित कचरे के ढेर पहाड़ की तरह लगे रहते हैं। भारत के 9882 छोटे नगर जितना कुल कचरा (82 हजार मैट्रिक टन प्रतिदिन) पैदा करते हैं, 53 बड़े शहर इससे ज्यादा कचरा (88 हजार मैट्रिक टन रोजाना) पैदा करते हैं। जीवन शैली में आए बदलावों के कारण प्रतिव्यक्ति कूड़े का उत्पादन भी वढ़ा है। नालों के मुँह नदियों, तालाबों और झीलों की ओर मोड़ दिये गये हैं। देश की 87 बड़ी नदियों में 2900 बड़े नालों का जल जहरीला और दूषित जल गिराया जा रहा है। जहरीले अवशिष्ट भूगर्भीय जल को भी दूषित करते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार भारत में 22 तरह की बीमारियाँ कचरे की देन है। इससे होने वाली बीमारियों के कारण एक व्यक्ति पर सालाना 6.50 हजार रुपये का आर्थिक बोझ आता है। कूड़ा कचरा निस्तारण की एक प्रभावी और कारगर अधोसंरचना का विकास हम अभी तक नही कर पाये हैं। ये जमीनी समस्याएँ स्वच्छता अभियान में बड़ी बाधक हैं।

स्वच्छ भारत अभियान में नदियों की विशेष भूमिका है। महात्मा गाँधी नें कहा था कि नदियाँ हमारे देश की नाड़ियों की तरह हैं और हमारी सभ्यता हमारी नदियों की स्थिति पर निर्भर है। यदि हम उन्हें गंदा करना जारी रखेंगे, जिस तरह से हम कर रहें हैं तो वह स्थिति दूर नही जब हमारी नदियाँ जहरीली हो जायेंगी और यदि ऐसा हुआ तो हमारी सभ्यता नष्ट हो जायेगी। हम पर्यावरणीय आपदा के मुहाने पर खड़े हैं क्योंकि हमने अपनी सबसे पवित्र नदी गंगा को प्रदूषित कर डाला है। प्रश्न यह उठता है कि गंगा महज एक नदी है? क्या गंगा एक तीर्थ है? क्या गंगा शहरों में जलापूर्ति करती है? क्या गंगा उद्योगों को पानी मात्र देती है? गंगा भारतीय जनमानस संस्कृति और सभ्यता के रुप में अनन्त काल से विद्यमान रही है। श्रीमद् भागवत में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि मैं नदियों में गंगा हूँ। महाकवि तुलसीदास कहते हैं कि–

गंग सकल मुद मंगल भूला। सब सुख करनि हरनि सब सूला।।

गंगा की महिमा का वर्णन न केवल धर्मग्रंथों और भक्त कवियों की रचनाओं में मिलता है बल्कि आधुनिक शोध के आधार पर यह सिद्ध हो चुका है कि गंगा में अन्य नदियों की तुलना में रोगाणुनाशक गुण कई गुना अधिक पाये जाते हैं। राष्ट्रीय पर्यावरण

1: Corresponding Author

अभियान्त्रिकी शोध संस्थान द्वारा किये गये अध्ययनों में कहा गया है कि रोगाणुओं को नष्ट करने वाले जो रेडियोएक्टिव तत्व, भारी मात्रा में धातुएँ एवं कोलियोफेज नामक जीवाणु गंगा में पाये जाते हैं तो अन्य नदियों के जल में सर्वथा उनका अभाव है। हम गंगा को माता के रुप में संबोधित करते हैं पर हजारो टन चमड़े का अपशिष्ट रोजाना गंगा में गिराते हैं (विशेषकर कानपुर में) माँ कहकर हजारों मुर्दों को जलाते हैं तथा राख गंगा में विसर्जित करते हैं। राजीव गाँधी ने प्रधानमंत्री पद पर आसीन होते हुए ही राष्ट्र के नाम अपने पहले संबोधन में ही 6 जनवरी 1985 को गंगा को निर्मल करने संबंधी एक प्रमुख कार्यक्रम की घोषणा की। फरवरी 2009 में तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने गंगा को एक राष्ट्रीय नदी घोषित किया साथ ही अपनी अध्यक्षता में नेशनल गंगा रिवर बेसिन ॲथारिटी ;छळत्ठ।द्ध के गठन की घोषणा की थी। इनमें उत्तर प्रदेश, झारखण्ड, बिहार, पश्चिमी बंगाल के मुख्य मंत्रियों के अलावा प्रसिद्ध कार्यकर्त्ताओं और पेशेवरों को शामिल किया गया है। छळत्ठ। को पूर्व के गंगा एक्शन प्लान जिसपर कोई 900 करोड़ रुपये व्यय किये जा चुके थे की खुबियों और खामियों पर खासा विचार करने के उपरांत बनाया गया था। गैप के चलते पानी की गुणवत्ता में गिरावट थमी। फरवरी 2009 और 2014 के बीच छळत्ठ। ने कमशन क्लीन गंगा क्रियान्वित किया। इसका मुख्य उद्देश्य 2020 तक सुनिश्चित करना था कि नगर निकायों का गैर उपचारित सीवेज या औद्वोगिक अपशिष्ट नदी में न गिराया जाय। इस मिशन के दो लक्ष्य थे– 'निर्मल गंगा और अविरल धारा'। दोनों उद्देश्यों को पूरा करने की गरज से NGRBA ने 5 दूरगामी फैसले लिए।

पहला यह कि इसनें उत्तर प्रदेश में सीवेज नियन्त्रण एवं उपचार के लिए 2,700 करोड़ रुपये की 81 परियोजनाओं को मंजूरी दी। बिहार के लिए 1,400 करोड़ रुपये व बंगाल में 1,200 करोडत्र रुपये, उत्तराखण्ड के लिए 250 करोड़ रुपये तथा झारखण्ड के लिए 100 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई। यह प्रयास नदी के 3,600 किमी0 से ज्यादा लम्बे हिस्से के लिए सीवेज उपचार की क्षमता का विकास करने के मद्देनगर किया गया था। वाराणसी के लिए अलग से 500 करोड़ की परियोजना मंजूर की गई।

दूसरे फैसले के तहत NGRBA के लिए IIT कानपुर के मार्गदर्शन में संकाय स्थापित किया गया। इस कंसोरशियम को समग्र गंगा रिवर बेसिन मैनेजमेंट प्लान तैयार करना था। साथ ही, इस योजना के प्रावधानों को कानूनी तौर पर कारगर बनानें की जिम्मेदारी भी इसे सौंपी गयी।

तीसरा फैसला यह किया गया कि गांगेय डाल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव माना गया ताकि नदी को पुनः स्वच्छ बनानें का यह प्रतीक बन सके।

चौथे फैसले के तहत केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड CPCB ने पहली बार अनेक प्रदूषणकारी उद्योगों को नोटिस जारी किया। खासकर कन्नौज से वाराणसी तक नदी के 730 किमी लम्बे हिस्से के लिए ये नोटिस जारी किये गये। इस हिस्से को सर्वाधिक प्रदूषित माना जाता है।

पाँचवा फैसला था कि भागीरथी के ऊपरी तरफ तीन पनबिजली परियोजनाओं –लोहरिनाग पाला, पाला मनेरी तथा भैरा घाटी को पारिसिथतकीय कारणों से रोक दिया गया। साथ ही गौमुख से उत्तर काशी तक के 100 किमी लम्बे हिस्से को नियमित पारिस्थितकीय रुप से संवेदनशील क्षेत्र घोषित कर दिया गया।

गंगा मे निरंतर उचित प्रवाह बनाए रखना जरुरी है साथ ही सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित डॉ0 रवि चोपड़ा कमेटी द्वारा जिन गंगा एवं उसकी सहायक नदियों में बनने वाले बाँधों को निरस्त करने की सिफारिस की गई है उन्हें निरस्त करना। इसके साथ ही हरिद्वार तथा नरोरा से जिन सिंचित क्षेत्रों में पानी निकाला जाता है उन क्षेत्रों में सिचाई की वैकल्पिक व्यवस्था बनायी जाए। इसके लिए 5 वर्ष की योजना बने और प्रथम वर्ष 10 प्रतिशत, दूसरे वर्ष 20 प्रतिशत, तीसरे वर्ष 30 प्रतिशत, चौथे वर्ष 40 प्रतिशत तथा पाँचवें वर्ष 50 प्रतिशत पानी कैनालों में कम छोड़ा जाए। इनक मी को पूरा करने के लिए स्थानीय वैकल्पिक सिचाई के साधन निर्मित किये जाए। आगे की कार्ययोजना फिर आवश्यकतानुसार बनें।

तरुण भारत संघ के प्रमुख राजेन्द्र सिंह का कथन है कि हल्दिया और इलाहाबाद के बीच गंगा नदी पर सोलह बराज बनाने के पहले फरक्का बराज का गंगा के जल में अविरल प्रवाह, जैव विविधता तथा प्रदूषण खपाने की क्षमता पर पड़ने वाले प्रभाव का विधिवत मूल्यांकन करना चाहिए क्योंकि फरक्का बराज के निर्माण से गंगा के अविरल प्रवाह में रुकावट आयी है उसकी जैव विविधता प्रभावित हुई है तथा बड़े पैमाने पर भूमिक्षरण हुआ है इससे बाढ़ में वृद्धि हुई है तथा स्थानीय लोगों का विस्थापन हुआ है। इन नये बराजों के बनने से बिहार में बाढ़ का खतरा 80 प्रतिशत ज्यादा है।

तालिका 1– गंगा जल विकास परियोजना के नकारात्मक आयाम

क्रमांक	आयाम	नकारात्मक कारक
1	आर्थिक	गाद बालू निकालने तथा रखरखाव में काफी खर्च
2	पारिस्थिकीय	जैव विविधता को खतरा, कछुआ, मगरमच्छ, उदविलाव, जलमुर्गी
3	प्राकुतिक आपदा	फरक्का बराज निर्माण से भूक्षरण, बाढ़, विस्थापन
4	मौसमी प्रवाह	गर्मी में पर्याप्त स्थिर पानी का न होना

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट होता है कि गंगा जल विकास परियोजना के ये नकारात्मक आयाम ऐसे हैं जिसे नजर अंदाज नही किया जा सकता है।

गंगा विश्व की छठी सबसे प्रदूषित नदी है। एक अध्ययन के अनुसार सिचाई के बाद खेतों में गंगा बेसिन में हर वर्ष 96.3 लाख टन रासायनिक उर्वरक प्रयुक्त होता है जिसमें से कम से कम 5 प्रतिशत (4.8 लाख टन) रसायन बहकर गंगा नदी में जाता है। गंगा बेसिन में 26,346 टन कीटनाशक हर वर्ष प्रयुक्त होता है जिसमें से 5 प्रतिशत (1,320 टन) कीटनाशक बहकर गंगा नदी में

जाता है। एक अनुमान के अनुसार भारत के 181 शहरों का कचरा अपशिष्ट (1100 करोड़ लीटर) गंगा में गिरता है जिसका मात्र एक तिहाई से 45 प्रतिशत तक ही शोधित होता है। गंगा में विभिन्न औद्योगिक इकाइयाँ 75 से 80 प्रतिशत प्रदूषक तत्व डालती है। नगर निगम/नगर पालिकाएँ 15 से 20 प्रतिशत प्रदूषक तत्व डालती है तथा स्थानीय लोग तथा पर्यटक 5 प्रतिशत प्रदूषक तत्व डालते हैं वनों के विनाश के कारण बाढ़ की समस्या उत्पन्न होती है। जून 2013 में केदारनाथ क्षेत्र में भयंकर बाढ़ आयी थी जिसमें एक गैर सरकारी अनुमान से करीब 10 हजार लोग मारे गये थे। कानपुर में चमड़े के कारखाने वाले जमीन के नीचे पाइप डालकर उसमें गंदा पानी डालते हैं जिसके कारण भूजल भी प्रदूषित हो गया है और आसपास के हैंडपंप से लाल पानी निकलता है। जिससे दमा, चर्मरोग, पीलिया, हेपटाइटिस की बीमारियाँ तेजी से हो रही है।

गंगा को प्रदूषण मुक्त बनानें के लिए निम्नांकित उपाय कर सकते है–

1. गंगा के किनारे स्थित प्रदूषक औद्योगिक इकाइयों को अन्यत्र स्थानानंतरित करना।
2. गंदे जल का पुनः चक्रण एवं पुनः उपयोग करना।
3. कचरा गंदा पानी मल–मूत्र आदि गंगा में न गिराना।
4. विद्युत शवदाह गृहों का निर्माण करना।
5. गंगा तट एवं आस पास के क्षेत्रों से अतिक्रमण हटाना।
6. खेतों से रासायनिक उर्वरकों कीटनाशकों आदि को गंगा में बहने से रोकना।
7. विभिन्न संचार माध्यमों के जरिये जन जागरण करना।
8. गंगा स्नान के दौरान साबुन तेल का प्रयोग न करना तथा उसमें पूजा सामग्री या खाद्य सामग्री न डालना।
9. पुरोहितो/पंडो/पुजारियों/दर्शनार्थियों/तीर्थयात्रियों को प्रदूषण रोकने हेतु जागरुक तथा पर्यावरण हितैषी व्यवहार घाटों की सफाई के लिये लोगो को प्रेरित करना।
10. वैकल्पिक संपोषकीय विकास का प्रतिमान अपनाना जिससे प्रदूषण न हो। प्राकृतिक संसाधनों का जरुरत के अनुसार उपयोग करना। जनभागीदारी हो, आर्थिक रुप से उपयोगी एवं किफायती हो तथा सांस्कृतिक रुप से स्थानीय लोगो को स्वीकार्य है।
11. शासन स्तर पर भारत बांग्लादेश समझौता (1996) तथा फरक्का बराज की डिजाइन की समीक्षा हो तथा बराज से पानी छोड़ने तथा वितरण की समुचित व्यवस्था भारत बांग्लादेश दोनों के हित में हो।
12. छोटी–2 जलविद्युत योजनाएँ बनायी जाये जो स्थानीय लागो की जरुरते समान रुप से पूरी करे जो सांस्कृतिक रुप से स्वीकार्य हो, जो आर्थिक रुप से किफायती हो और पर्यावरण हितैषी व टिकाऊ हो।
13. वैकल्पिक विकास का प्रतिमान अपनाया जाय।

गंगा नदी को प्रदूषण मुक्त बनानें के लिए अभी हाल में उच्च न्यायालय ने व्यवस्था दी कि गंगा नदी क्षेत्र में पालीथिन उपयोग को पूर्णतः प्रतिबंधित किया जाए। उ0प्र0 सरकार नें पालिथिन के निर्माण से लेकर खरीदने बेचने तक सभी क्रिया–कलापों पर प्रतिबंध लगा दिया। उल्लघंन पर छह मास की सजा तथा 5 लाख की धनराशि के जुर्माना का प्रावधान कर दिया है। उ0प्र0 सरकार ने व्यवस्था की है कि उल्लघंन पर पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1936 की धारा 19 के तहत आवश्यक एवं अपेक्षित कार्यवाही की जायेगी। नीति निर्धारक, कानून एवं व्यवस्थाएँ तय करना नीति निर्माताओं के लिए बहुत अधिक मुश्किल न होगा लेकिन अमल एवं क्रियान्वयन मुश्किलों से कम नही होता। करीब डेढ़ दशक पहले उच्चतम न्यायालय भारत सरकार व प्रांतीय सरकारों ने आदेश जारी किया था कि 20 माइक्रान से पतले पालीथिन का उपयोग, बिक्री व उत्पादन पूर्णतः निषिद्ध कर दिया जाना चाहिए लेकिन इन डेढ़ दशक में कोई सार्थक परिणाम तो नही दिखे। गंगा जमुना की मलिनता को खत्म करने के लिए प्रयास हो रहे हैं नीतियाँ भी बन रहीं हैं पर अभी तक कोई सार्थक परिणाम सामने नही आ रहें हैं। भारत सरकार ने एक बार फिर नमाति गंगे के सूक्तिवाक्य से गंगाजल की निर्मलता की कोशिश की है। इसके लिए केन्द्रीय जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा पुनरोद्धार मंत्रालय ने मानव संसाधन मंत्रालय से सहयोग की अपेक्षा कर हाथ मिलाए है। निश्चय ही इस व्यवस्था से सार्थक परिणाम आयेंगे। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान गंगा स्वच्छता में तकनीकी सहयोग करेगा वहीं शैक्षणिक संस्थान नागरिकों को जागरुक करेंगे। सबसे बड़ी चुनौती गंगा जल धारा को निर्मल बनाने की है क्योंकि गंगोत्री से लेकर गंगा सागर तक करीब 25–25 किमी लम्बी गंगा में औसत प्रति वर्ष 20 करोड़ लोग डुबकी लगाते हैं कुंभ में यह संख्या बढ़ जाती है। दूसरी चुनौती गंगा में गिरने वाले नाले के साथ छोटे नालों की गंदगी है। नमामि गंगे में छोटे बड़े सभी नालों की गंदगी शोधित करने की बात की है अब गंगाधारा में जल की उपलब्धता भी बड़ा संकट है क्योंकि जब गंगा में जल ही नही होगा तो निर्मलता तथा अविरलता कहा से लायेंगे। केन्द्र सरकार नें नदी जोड़ो परियोजना पर बल दिया है यदि यह परियोजना फलीभूत होती है तो निश्चय ही जल संसाधन को अपेक्षित दशा एवं दिशा मिलेगी। इसमें केन बेतवा लिंक परियोजना, दमन गंगा पिंजल लिंक परियोजना शामिल है। विशेषज्ञों का मानना है कि प्रथम चरण में 6.35 लाख हेक्टेअर पानी की उपलब्धता सुनिश्चित हा जायेगी इस परियोजना पर 9393 करोड़ धनराशि खर्च होने का अनुमान है। इस परियोजना के क्रियान्वयन से नदियों में जल प्रवाह अर्थात जल उपलब्धता का भी संकट नही रहेगा, इससे जल प्रदूषण पर भी अंकुश संभव है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी व जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबो की काशी यात्रा पर गंगधारा को निर्मल बनाने के लिए वाटर हार्वेस्टर मशीन का प्रयोग कारगर सिद्ध हुई। नदी जोड़ो परियोजना से मशीनों की जरुरत ही नही रहेगी। गंगा नदी को प्रदूषण मुक्त रखने के लिए National Green Tribunal (NGT) ने गंगा किनारे 500 मीटर का वफर जोन बनाने का सुझाव दिया है। NGT ने यह सुझाव गंगा नदी में प्रदूषण के मामले की सुनवाई के दौरान दिया है।

यह शुभ संकेत है कि पिछले कुछ वर्षों में निर्मल व अविरल गंगा के लिए जनचेतना बढ़ी है और देश में गंगा से जुड़े आंदोलन तेज हुए हैं। केन्द्र सरकार घाटों एवं नदियों की सफाई हेतु

तत्पर है निश्चय ही गंगा को स्वच्छ बनाना एक विकट समस्या है बावजूद इसके माइक्रो डैम बनाकर गंगा तट के आसपास बसे शहरों में आये बाहरी पर्यटकों के लिए शौचालय सीवरेज आदि की योजना साकार कर गंगा तट से कल कारखानों को कम कर, बैराजों में सीमित जल रखकर, आर्गेनिक खेती को बढ़ावा देकर गंगा को प्रदूषण मुक्त बनाने में काफी हद तक सफलता प्राप्त की जा सकती है किन्तु केन्द्र एवं राज्य सरकारों के सकारात्मक प्रयासों के साथ–साथ देश के प्रत्येक नागरिक को गंगा को प्रदूषण मुक्त करने में तन मन धन से सहयोग करना होगा तभी हम भारत वर्ष के इस गौरव की रक्षा कर सकेंगे।

संदर्भ

शर्मा, सुभाष : आस्था, आजीविका व पारिस्थितकी के सवाल *योजना,* अक्टूबर 2014

झा, राजेश कुमार : स्वच्छता विकास और सामाजिक परिवर्तन, *योजना,* जनवरी 2015

राष्ट्रीय सहारा 11 अक्टूबर 2014

सविल सर्विसेज क्रानिकल, दिसम्बर 2015

दीक्षित, हृदय नारायण : स्वच्छता का सत्याग्रह, 20 अक्टूबर 2015

दैनिक जागरण 8 नवम्बर 2015

दैनिक जागरण, 3 जुलाई 2014

चौहान,रमेन्द्र सिंह : स्वच्छता अब भी बड़ी चुनौती, *राष्ट्रीय सहारा,* 21 अक्टूबर 2015

जैन, चन्द्र योगेश *निबंधमाला* मार्च 2015